

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी  
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क्र०सं०	प्रा०पत्रसं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	25/23	2023/30	6.10.2023	सरकार बनाम रमेश	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 25/2023 (2023/30)

उनवान प्रकरण

- बाबूलाल तगाया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। आवेदक

बनाम

- रमेश चन्द गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द गर्ग (प्रोपराईटर एवं मौके पर विक्रेता) मैसर्स गोपाल किराना स्टोर, पुरानी अनाज मण्डी गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर निवासी आर्दश नगर कॉलेज रोड गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर। अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 151 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2023 को साय: 2.00 पी.एम पर पुरानी अनाज मण्डी गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर स्थित मैसर्स गर्ग किराना स्टोर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम रमेश चन्द गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द गर्ग होना बताया एवं फर्म का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। तत्पश्चात मेरे द्वारा फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र मांगा जो मौके पर नहीं होना बताया। संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पदार्थ Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) लगभग 21 रखे हुए थे। खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) में गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जॉच 1600 मिली खरीदकर उसकी कीमत 303/-रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रमेश चन्द गर्ग के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1600 मिली Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) खाद्य पदार्थ को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2619 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच-2619 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष रहे माल 20 टीन एवं एक लूज टीन जिससे नमूना लिया गया को विक्रेता श्री रमेश चन्द की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
1

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी  
मु.नं० 25/23 (2023/30) सरकार बनाम रमेश चन्द्र गर्ग


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे रमेश चन्द्र गर्ग (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री रमेश चन्द्र गर्ग (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/673 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/368/एक्ट/2023/462 दिनांक 28.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) Sub Standard प्रकृति का होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) Sub Standard प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/368/एक्ट/2023/462 दिनांक 28.02.2023 निम्नानुसार है:-

Government of Rajasthan  
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY  
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004  
FORM-B



Report No. L.S. / 368 / Act / 2023 / 462  
Test Report of the Food Analyst [Refer Regulation (2) of 2.3.1]  
अभिहित अधिकारी (लायस्यूरत) एय  
मुख्य विश्लेषक एवं स्वा. अधिकारी 28-02-2023  
गंगाई माधोपुर

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan-state received from Sh. Babu Lal Taganya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand)" bearing Code number and Serial number II-2619 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 17-02-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:  
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.3 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-02-2023 to 28-02-2023 and the result of its analysis is given below.

**Analysis Report:-**

- (1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.  
(2) Physical appearance : - Light yellow coloured clear oil. Free from suspended matter, separated water and rancidity.  
(3) Label : - Loose sample (Sample collected from 15 litre sealed Tin (of brand Kundan Postman) as mentioned by Food Safety Officer in form No. VI).

Sl. No.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.003.2021:2021	60.9	54.0 to 57.1
2.	Saponification value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.007.2021:2021	195.90	188.0 to 196.0
3.	iodine value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.010.2021:2021	124.9	85.0 to 99.0
4.	Acid value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.009.2021:2021	0.32	Not more than 0.6
5.	Moisture	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.001.2021:2021	0.03%	Not exceed 0.10%
6.	Test for Argemone oil	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.032.2021:2021	Negative	Negative
7.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.013.2021:2021	Negative	Negative
8.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS AND FATS PRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.030.2021:2021	Negative	Negative
9.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent	Absent

Opinion: The sample of "Refined Groundnut Oil" bearing Code No. and Sr. No. II-2619 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 28<sup>th</sup> day of February 2023

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM  
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY  
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,  
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

शुचिता अग्रवाल  
Food Analyst  
(Authorized Signatory)  
SHUCHITA AGRAWAL  
FOOD ANALYST, RAJASTHAN  
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY  
JAIPUR, RAJASTHAN

A Butyro Refractometer (BR) reading of 60.9 at 40°C for an oil sample indicates a high level of unsaturation or potential adulteration depending on the oil type. For instance, in context-based cases, a reading of 60.8-61.4 has been flagged as exceeding permissible limits (e.g., 60.5 for mustard oil).

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

**Interpretation of 60.9 BR Reading High Value Indication:** A higher BR reading generally indicates higher unsaturation (more double bonds) in the fatty acids or the presence of adulterant oils (like vegetable oils) in, for example, milk fat.

**Adulteration Check:** A reading of 60.9 is likely higher than the standard limits for many animal-based fats, indicating potential adulteration with plant-based oils (e.g., palm oil, vegetable oils).

**Key Considerations**

**Temperature Matters:** BR readings must be taken at a standard temperature, typically 40°C, for proper comparison against standards.

**Adulterant Identification:** While high, a 60.9 reading is not specific to one oil; it implies a fat with high unsaturated fatty acids.

**Disclaimer:** The above interpretation is based on standard dairy/oil quality metrics. Final determination of adulteration should be done through a full fatty acid profile analysis in a lab.

An iodine value of 124.9 for groundnut (peanut) oil is significantly higher than the standard, typical range for this oil, suggesting a high level of polyunsaturation or potential adulteration with other oils.

**Iodine Value of Groundnut Oil Context**

**Typical Value:** The standard iodine value for pure groundnut oil ranges from 80 to 107.

**Significance of 124.9:** A value of 124.9 indicates a much higher degree of unsaturation than usual. While it may indicate a specific, highly unsaturated variety, it is in the range of oils like soybean (120-139) or canola (110-126).

**Other Findings:** Some studies on specific peanut varieties have shown lower ranges, such as 86-99 or 90-91.

**Why it Matters:** The iodine value measures the number of double bonds in the fatty acids, indicating the oil's stability and resistance to oxidation (lower value = more saturated/stable; higher value = more unsaturated/less stable).

**Note:** The number 124.9 was associated in research findings with "bambara groundnut" (a different plant species) rather than the common *Arachis hypogaea* peanut

मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है। तदपि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ **Refined Groundnut Oil (Kundan Postman Brand) Sub Standard** प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रुपये (अक्षरे—एक लाख रुपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त  
जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी